रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2003/फाल्गुन 26, 1924
No. 126] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2003/PHALGUNA 26, 1924

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2003

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 वाँ) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (त) तथा (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(क) इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (न्याय निर्णायक अधिकारी की शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव और जाँच करने की विधि) नियम, 2003 कहा जाएगा ।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) से है ।

(ख) "न्याय निर्णायक अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे न्याय निर्णायक अधिकारी से हे जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (i) के अंतर्गत की गई है ।

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है ।

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त परन्तु इन नियमों में अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, परन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं का अर्थान्यवन वही है जो उनका अधिनियम में है ।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी की पात्रता :-

जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 (3) का प्रयोजन तथा आशय यह है कि न्याय निर्णायक अधिकारी एक ऐसा अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो सूचना प्रौद्योगिकी के पहलुओं से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के क्षतिपूर्ति सिद्धांत पर विधिक अथवा न्यायिक रीति से शिकायतों का निर्धारण करने की सिथति में हो ।

कोई व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का तभी पात्र होगा जब उसके पास -

(क) विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री है जिसे संघ/राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से किसी सरकारी विभाग में श्रेणी-I सेवा में भर्ती के प्रयोग से केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार की कार्य प्रणाली सहित सार्वजनिक सम्पर्क से संबद्ध क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुभव है तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के जरिए प्राप्त अनुभव, जिससे कम्प्यूटर प्रणाली पर कार्य करने की योग्यता, कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिए ई-मेल अथवा अन्य सूचना भेजने तथा प्राप्त करने, इन्टरनेट सहित नेटवर्क के माध्यम से सूचना, आंकड़े, ध्वनि, बिम्ब अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजने की कार्यप्रणाली की जानकारी तथा जागरूकता हासिल हुई है;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट, अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट अथवा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अथवा किसी अन्य प्रशासनिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक क्षमता में 5 वर्ष की संचयी अवधि में कानून के संचालन से संबंधित निर्णय लेने अथवा आदेश देने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की भूमिका से जुड़े उत्तरदायित्वों के निर्वाह का विधिक अथवा न्यायिक अनुभव है;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यात्मक ड्यूटी करने तथा कार्य के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए सरकारी विभाग में राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र में, श्रेणी I में कार्य कर रहा है तथा पद धारक हैं;

(ङ) भारत सरकार में ऐसा सेवा कालीन अधिकारी है, जो निदेशक के पद से नीचे नहीं है अथवा राज्य सरकार में समतुल्य पद पर अधिकारी है ।

जाँच करने का कार्य क्षेत्र तथा विधिः-

(क) न्याय निर्णायक अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अध्याय IX से संबंधित उल्लंघनों तथा व्यक्ति की तैनाती के राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में मामला अथवा मामले या स्थानों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 75 की उप धारा 2 में निर्धारित किए गए अनुसार शिकायत इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में एक सादे कागज पर कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क के स्थापना स्थल के आधार पर राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के न्याय निर्णायक अधिकारी को की जाएगी तथा देय शुल्क की गणना क्षतिपूर्ति के रूप में मांगे गए हरजाने के आधार पर की जाएगी ।

(ग) न्याय निर्णायक अधिकारी कार्यवाही से संबंधित सभी आवश्यक पक्षों को सभी दस्तावेजों सहित एक नोटिस जारी करेगा, आगे की कार्यवाही के लिए तारीख तथा समय निर्धारित करेगा । इस नोटिस में सभी ब्यौरे शामिल होंगे जैसे कि अभिकथित उल्लंघन का समय तथा स्थान और व्यक्ति (यदि कोई है) जिसके विरुद्ध, अथवा वस्तु (यदि कोई है) जिसके लिए यह किया गया है ।

(घ) इस प्रकार निर्धारित की गई तारीख पर न्याय निर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, अधिनियम के किसी भी प्रावधान अथवा किसी भी नियम, विनियम, निर्देश या इसके अंतर्गत किए गए आदेश के अभिकथित उल्लंघन के बारे में बताएगा ।

(ङ) यदि वह व्यक्ति जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है, अपराध स्वीकार करता है, तो न्याय निर्णायक अधिकारी अभिवचन रिकॉर्ड करेगा, तथा दण्ड दे सकता है अथवा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, आदेश अथवा इसके अंतर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है ।

(च) अनुकल्पतः निर्धारित तारीख पर जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, से पूछा जा सकता है कि अभिकथित उल्लंघन के लिए जांच क्यों नहीं की जाए अथवा अभिकथित उल्लंघन संबंधी रिपोर्ट क्यों खारिज कर दी जाए ।

(छ) न्याय निर्णायक अधिकारी मामले की रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट (यदि कोई हो) अन्य दस्तावेजों के आधार पर तथा किए गए स्वीकरण के आधार पर यह मत बना सकता है कि जाँच करने के लिए पर्याप्त कारण है अथवा यह कि मामले की रिपोर्ट खारिज कर दी जाए तथा इसके आधार पर मामले की रिपोर्ट आदेश द्वारा खारिज करेगा अथवा मामले की सुनवाई तय करेगा ।

(ज) यदि कोई व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, इसकी अवहेलना करता है अथवा इससे इंकार करता है, अथवा उप नियम (घ) की अपेक्षा के अनुसार उपस्थित होता है, न्याय निर्णायक अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अनुपस्थिति में जाँच, ऐसा करने के कारण रिकॉर्ड करने के बाद, करेगा ।

(झ) किसी भी समय अथवा किसी व्यथित व्यक्ति, अथवा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से, न्याय निर्णायक अधिकारी नियंत्रक के कार्यालय में किसी अधिकारी अथवा सर्ट-इन्ड अथवा संबंधित पुलिस उप अधीक्षक से मामले अथवा रिपोर्ट की जाँच करा सकता है ताकि अधिक तथ्यों का पता लगाया जा सके और यह तय किया जा सके कि मामले पर प्रथमदृष्टया न्याय निर्णयन का मामला बनता है या नहीं ।

(ञ) न्याय निर्णायक अधिकारी दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख तथा समय निर्धारित करेगा और इस प्रयोजन से वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अथवा पत्रों पर भी निर्भर कर सकता है तथा जाँच अथवा विवाद के ऑनलाइन निपटारे को बढ़ावा देने के लिए अथवा साक्ष्य लेने के लिए मूलसंरचना का इस्तेमाल करेगा अथवा इसे उपलब्ध कराएगा जिसमें किसी अन्य राज्य के न्याय निर्णायक अधिकारी की सेवाएँ तथा विद्यमान मूलसंरचनात्मक सुविधाएं शामिल हैं ।

(ट) जहाँ तक संभव होगा, प्रत्येक आवेदन पत्र की सुनवाई की जाएगी तथा इस पर चार महीने में और पूरे मामले पर छह महीने में निर्णय लिया जाएगा ।

(ठ) इस बात का विश्वास हो जाने पर कि मुकदमे का क्षेत्र उल्लंघन के बजाय अपराध/अपराधों (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय XI के अंतर्गत) तक है, जिसके लिए मात्र वित्तीय शास्ति के बजाय समुचित दण्ड की आवश्यकता है, न्याय निर्णायक अधिकारी को मुकदमा ऐसे मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर देना चाहिए जिसके पास पीठासीन अधिकारी के जरिए मुकदमे पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है।

5. **न्याय निर्णायक अधिकारी का आदेश :**

(क) न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा अन्य रिकॉर्डों और स्वीकरणों पर विचार करने के बाद यदि न्याय निर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि व्यक्ति क्षतिपूर्ति के रूप में हरजाना देने का अथवा अधिनियम अथवा नियमों, विनियमों, निर्देशों अथवा आदेशों के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत

दण्ड दिए जाने का पात्र है, तो न्याय निर्णायक अधिकारी लिखित रूप में आदेश देकर क्षतिपूर्ति के रूप में हरजाने के भुगतान का आदेश दे सकता है अथवा वह सजा दे सकता है, जो उचित मानी जाए ।

(ख) क्षतिपूर्ति अथवा शास्ति की मात्रा का निर्णय करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित तथ्यों पर उचित ध्यान देगा, अर्थात् :

(i) अनुचित लाभ से हुए नफ़े की राशि, जहाँ भी निर्धारित की जा सके, जो भुगतान न करने के फलस्वरूप प्राप्त हुई है;

(ii) भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को हुए नुकसान की राशि;:

(iii) भुगतान नहीं करने की दोहराने की प्रकृति ।

6. **आदेश की प्रतिलिपि :** न्याय निर्णायक अधिकारी आदेश की एक-एक प्रमाणित प्रतिलिपि वादी तथा प्रतिवादी को देगा ।

7. **नोटिस तथा आदेश की तामील :** इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस अथवा आदेश निम्नलिखित किसी भी रूप में व्यक्ति को दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) व्यक्ति अथवा व्यक्ति के प्राधिकृत एजेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसकी डिलीवरी करना अथवा देना बशर्ते संबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वास्तविक डिलीवरी का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है; अथवा

(ख) व्यक्ति के निवास-स्थल के पते अथवा निवास या व्यवसाय-स्थल के अंतिम पते पर पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा इसे भेजना ।

(ग) यदि यह उपर्युक्त खण्ड (क) अथवा (ख) के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है तो इसे दो गवाहों की उपस्थिति में उस व्यक्ति के परिसर में चिपका दिया जाएगा जहाँ वह रहता है या जहाँ उसके अंतिम बार रहने की जानकारी है, अथवा जहाँ उसने व्यवसाय किया अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है अथवा नफ़े के लिए अंतिम बार कार्य किया ।

8. **शुल्क :**

न्याय निर्णायक अधिकारी को प्रत्येक मामले की शिकायत राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्य स्थल पर "न्याय निर्णायक अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम" के पक्ष में देय एक बैंक ड्राफ्ट के जरिए शुल्क सहित भेजी जाएगी, जिसकी गणना नीचे दी गई दरों पर उल्लंघनकर्त्ताओं से क्षतिपूर्ति के रूप में मांगे गए हरजाने के आधार की जाएगी :

शुल्क की तालिका

(i) क्षतिपूर्ति के रूप में हरजाना	शुल्क
क) 10,000 रुपए तक	10% मूल्यानुसार जिसे नजदीकी अगले 100 रुपए तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।

ख) 10001 रुपए से 50000 रुपए तक	1000/रुपए तथा 10,000 रुपए से ज्यादा राशि का 5% जिसे अगले नजदीकी 100 रुपए तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।
ग) 50001 रुपए से 100000 रुपए तक	3000/-रुपए तथा 50,000 रुपए से ज्यादा राशि का 4% जिसे अगले नजदीकी 100 रुपए तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।
ध) 100000 रुपए से ज्यादा	5000/-रुपए तथा 100000/-रुपए से ज्यादा राशि का 2%जिसे अगले नजदीकी 100 रुपए तक पूर्ण कर दिया जाएगा ।
(ii) प्रत्येक आवेदन-पत्र के लिए शुल्क	**50/-रुपए**

9. **पुनरावृत्ति का परिहार** : जब उल्लंघन का कोई मामला न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है तो उसी मामले की कार्यवाही किसी भी रूप में किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा प्राधिकरण में नहीं चलाई जाएगी तथा यदि इसी मामले से संबंधित रिपोर्ट पहले ही दर्ज कर ली गई है तो ऐसे अन्य न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही वापस ली गई मान ली जाएगी ।

10. **झूठी शिकायतें** : यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है, तो न्याय निर्णायक अधिकारी अपने विवेकाधिकार से शिकायतकर्त्ता को जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है उन्हें वाद का खर्च देने और हरजाना देने का आदेश दे सकता है जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा और न्याय निर्णायक अधिकारी जुर्माने के भुगतान का आदेश भी दे सकता है जो दस हजार रुपए मात्र से ज्यादा नहीं होगा ।

11. **उल्लंघनों का संयोजन** :

(क) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों, निर्देशों अथवा आदेशों अथवा शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई है, संबधित न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष न्याय निर्णायक कार्यवाही के दौरान उल्लंघनों के संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है ।

परन्तु यह कि संयोजन के लिए आवेदन-पत्र उल्लंघन की रिपोर्ट होने से पहले ही दर्ज किया जाए, जिस स्थिति में उल्लंघनकर्ता स्वयं ही किए गए उल्लंघन तथा विभिन्न पक्षों को होने वाले संभावित नुकसान तथा उल्लंघनकर्त्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई हरजाने की राशि के बारे में बताएगा ।

(ख) उल्लंघन का संयोजन करने के इच्छुक आवेदक न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्यालय में उललंघन का संयोजन करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि जमा कराएंगे ।

परन्तु यह कि संयोजन शुल्क के रूप में निर्धारित राशि दण्ड की अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार संयोजित किए गए उल्लंघनों के लिए दिया जा सकता है ।

12. **प्रमाणन प्राधिकारी तथा सहायता के लिए अन्य सरकारी एजेंसियाँ** :

इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सभी लाइसेंस प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी, नियंत्रक तथा अन्य आधिकारिक एजेंसियाँ तथा सर्ट-इन्ड जैसी अन्य सरकारी एजेंसियाँ न्याय निर्मायक अधिकारी के समक्ष दर्ज की गई अथवा लम्बित किसी भी कार्यवाही में न्याय निर्णायक अधिकारियों की तत्काल सहायता करेंगी ।

परिशिष्ट

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम - 2000 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी को शिकायत के लिए प्रपत्र

I. 1. शिकायतकर्त्ता का नाम

2. ई-मेल का पता

3. दूरभाष संख्या

4. पत्राचार का पता

5. अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र, यदि कोई है

II. 1. प्रतिवादी का नाम

2. ई-मेल का पता

3. दूरभाष संख्या

4. पत्राचार का पता

5. अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र, यदि कोई है

III. मांगा गया हरज़ाना

जमा किया गया शुल्क

डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक .... शाखा ....

IV. धारा/नियम/निर्देश/आदेश आदि के अंतर्गत शिकायत

V. उल्लंघन का समय

VI. उल्लंघन का स्थान

VII. कार्रवाई का कारण

VIII. मुकदमें के संक्षेप में तथ्य

(शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर)

[फा. सं. 2(8)/2000-कार्मिक I]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2003

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by Clauses (p) & (q) of sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules namely: -

1. **Short title and commencement**: -

(a) These rules may be called the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003.

(b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**: - In these rules, unless the context otherwise requires –

(a) "Act" means the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
(b) "Adjudicating Officer" means an adjudicating officer appointed under sub-section (1) of section 46, of the Act.
(c) "Proforma" means a proforma appended to these rules.
(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Eligibility for Adjudicating Officer**: -

Whereas the purpose and intent of Section 46(3) of IT Act is that the Adjudicating Officer should be a person so qualified and experienced to take decisions with a view in relation to Information Technology aspects as well as in a position to determine the complaints keeping in view the legal or judicial mannerism on the principle of compensation of damages of IT Act.

A person shall not be qualified for appointment as Adjudicating Officer unless the person –

(a) Possesses a University graduate Bachelor degree or equivalent, recognized by Central Government / State Government for the purpose of recruitment to grade I Service in a Government Department through Union / State Public Service Commission;

(b) Possesses Information Technology experience in the areas of relevance to public interface with Central / State Government functioning and experience obtained though the in-service training imparting competence to operate computer system to send and receive e-mails or other information through the computer network, exposure and awareness about the method of carrying information, data, sound, images or other electronic records through the medium of network including Internet.

(c) Possesses legal or judicial experience to discharge responsibilities connected with the role of Central / State Government in respect of making decisions or orders in relation to administration of laws as a District Magistrate, or Additional District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or an Executive Magistrate or in other administrative or quasi-judicial capacity for a cumulative period of 5 years;

(d) Is working and holding a post in Grade 1 in Government Department either in State Government/Union Territories to perform functional duty & discharge job responsibility in the field of Information Technology;

(e) Is an in-service officer not below the rank of Director to the Government of India or an equivalent officer of State Government

4. **Scope and Manner of holding inquiry: -**

(a) The Adjudicating Officers shall exercise jurisdiction in respect of the contraventions in relation to Chapter IX of IT Act 2000 and the matter or matters or places or area or areas in a State or Union Territory of the posting of the person.

(b) The complaint shall be made to the Adjudicating Officer of the State or Union Territory on the basis of location of Computer System, Computer Network as defined in sub-Section 2 of Section 75 of IT Act on a plain paper on the Proforma attached to these Rules together with the fee payable calculated on the basis of damages claimed by way of compensation.

(c) The Adjudicating Officer, shall issue a notice together with all the documents to all the necessary parties to the proceedings, fixing a date and time for further proceedings. The notice shall contain such particulars as far as may be as to the time and place of the alleged contravention, and the person (if any) against whom, or the thing (if any) in respect of which, it was committed.

(d) On the date so fixed, the Adjudicating Officer shall explain to such person or persons to whom notice is issued about the contravention alleged to have been committed in relation to any of the provisions of the Act or of any rule, regulation, direction or order made there under.

(e) If the person in respect of whom notice is issued pleads guilty, the Adjudicating Officer shall record the plea, and may impose penalty or award such compensation as he thinks fit in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations, order or directions made there under.

(f) Alternatively on the date fixed the person or persons against whom a matter is filed may show cause why an enquiry should not be held in the alleged contravention or that why the report alleging the contravention should be dismissed.

(g) The Adjudicating Officer on the basis of the report of the matter, investigation report (if any), other documents and on the basis of submissions shall form an opinion that there is sufficient cause for holding an enquiry or that the report into the matter should be dismissed and on that basis shall either by order dismiss the report of the matter, or shall determine to hear the matter.

(h) If any person or persons fails, neglects or refuses to appear, or present himself as required by sub-rule (d), before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer shall proceed with the inquiry in the absence of such person or persons after recording the reasons for doing so.

(i) At any time or on receipt of a report of contravention from an aggrieved person, or by a Government agency or suo-moto, the Adjudicating Officer, may get the matter or the report investigated from an officer in the Office of Controller or CERT-IND or from the concerned Deputy Superintendent of Police, to ascertain more facts and whether prima facie there is a case for adjudicating on the matter or not.

(j) The Adjudicating Officer, shall fix a date and time for production of documents or evidence and for this purpose may also rely on electronic records or communications and as far as may be, shall use or make available the infrastructure for promoting on-line settlement of enquiry or disputes or for taking evidence including the services of an adjudicating officer and infrastructure in another State.

(k) As far as possible, every application shall be heard and decided in four months and the whole matter in six months.

(l) Adjudicating Officer, when convinced that the scope of the case extends to the Offence(s) (under Chapter XI of IT Act) instead of Contravention, needing appropriate punishment instead of mere financial penalty, should transfer the case to the Magistrate having jurisdiction to try the case, through Presiding Officer.

5. **Order of the Adjudicating Officer:-**

(a) If, upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer and other records and submissions, the Adjudicating Officer is satisfied that the person has become liable to pay damages by way of compensation or to pay penalty under any of the provisions of the Act or rules, regulations, directions or orders, the Adjudicating Officer may, by order in writing, order payment of damages by way of compensation or impose such penalty, as deemed fit.

(b) While adjudging the quantum of compensation or penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to the following factors, namely:

(i) the amount of gain of unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(ii) the amount of loss caused to any person as a result of the default;

(iii) the repetitive nature of the default.

6. **Copy of the Order:** - Adjudicating Officers shall deliver a certified copy of the order to the Complainant & Respondent.

7. **Service of notices and orders:** -A notice or an order issued under these rules shall be served on the person in any of the following manners, that is to say: -

(a) by delivering or tendering it to that person or the person's authorized agent in an electronic form provided that there is sufficient evidence of actual delivery of the electronic record to the concerned person; or

(b) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or the last known place of residence or business place;

(a) if it cannot be served under clause (a) or (b) above then by affixing it, in the presence of two witnesses, on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain.

8. Fee: -

Every complaint of a matter to the Adjudicating Officer shall be accompanied by fee, payable by a bank draft drawn in favour of "Adjudicating Officer Information Technology Act" at the place of functioning of Adjudicating Officer in the States or Union Territories, calculated on the basis of the damages claimed by way of compensation from the contraveners on the rates provided below.

Table of Fee

(i) Damages by way of compensation	**Fee**
a) Upto Rs.10,000	10% ad valorem rounded of to nearest next hundred
b) From 10001 to Rs.50000	Rs. 1000 plus 5% of the amount exceeding Rs.10,000 rounded of to nearest next hundred
c) From Rs.50001 to Rs.100000	Rs. 3000/- plus 4%of the amount exceeding Rs. 50,000 rounded of to nearest next hundred

d) More than Rs. 100000	Rs.5000/- plus 2% of the amount exceeding Rs. 100,000 rounded of to nearest next hundred
(ii) Fee for every application	**Rs. 50/-**

9. Duplicity Avoided: - When an adjudication into a matter of contravention is pending before an Adjudicating Officer, same matter shall not be pursued before any court or Tribunal or Authority in any proceeding whatsoever and if there is already filed a report in relation to the same matter, the proceedings before such other court, Tribunal or Authority shall be deemed to be withdrawn.

10. Frivolous complaints: - If a person files a frivolous report of the matter, the adjudicating officer in his discretion may order the complainant, to make good the cost of the persons against whom the complaint was filed and to pay a damage of not exceeding Rupees Twenty Five Thousand and the adjudicating officer may also order payment of a fine up to an amount not exceeding Rupees Ten Thousand only.

11. Compounding of Contraventions: -

(a) A person, against whom a report of contravention of the Act, Rules or Regulations, directions or orders or conditions has been filed before an Adjudicating Officer, may make an application for compounding the contravention during the adjudicating proceedings to the concerned adjudicating officer.

Provided that an application for compounding may be filed even before the contravention is reported, in which case the contravener himself shall state the contravention undertaken or committed and the likely loss to various parties and the amount of compensatory damages tendered by the contravener.

(b) The applicant desirous of compounding the contravention shall deposit the sum determined by the officer compounding the contravention into the office of Adjudicating Officer.

Provided that sum determined as compounding fee shall not exceed the maximum amount of penalty, which may be imposed under this Act for the contraventions so compounded.

12. Certifying Authorities and other Governmental Agencies to Assist

All the licensed or recognized Certifying Authorities, the Controller and other officers agencies established under the Act and other government agencies like CERT-IND shall promptly assist the Adjudicating Officers in any proceedings filed or pending before the Adjudicating Officers.

APPENDIX

PROFORMA FOR COMPLAINT TO ADJUDICATING OFFICER UNDER INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

I
1. Name of the Complainant
2. E-mail address
3. Telephone No.
4. Address for correspondence
5. Digital Signature Certificate, if any

II
1. Name of the Respondent
2. E-mail address
3. Telephone No.
4. Address for correspondence
5. Digital Signature Certificate, if any

III Damages claimed

Fee deposited

Demand Draft No.____________dated __________Branch_______

IV Complaint under Section/Rule/Direction/Order etc.

V Time of Contravention

VI Place of Contravention

VI Place of Contravention

VII Cause of action

VIII Brief facts of the case

(Signature of the Complainant)

[F. No. 2(8)/2000-Pers. I]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2003

सा.का.नि. 221(अ).—केन्द्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 वाँ) की धारा 87 की उपधारा(2) के खंड (द) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष की सेवा की निबंधनों एवं शर्तों को विनयमित करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :**

(क) इन नियमों को साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2003 कहा जाएगा ।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त परन्तु इन नियमों में अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, परन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं का अर्थान्यवन वही है जो उनका अधिनियम में है ।

2. **परिभाषा :** इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण" से धारा 48 की उपधारा (1) में स्थापित साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(ख)

3. **वेतन तथा भत्ते :** अध्यक्ष को ऐसे वेतन तथा भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य है, इसमें वे सभी लाभ शामिल है जिनके लिए सचिव पात्र है । अध्यक्ष को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 वाँ) की धारा 82 के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा ।

परंतु यह तब जबकि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ है अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, और पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर

चुका है, तो ऐसे अध्यक्ष के वेतन में से पेंशन अथवा भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान अथवा सेवा निवृत्ति लाभों का कोई अन्य रूप, यदि कोई उसके द्वारा आहरित की गई अथवा की जानी है, की सकल राशि को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु आगे यह कि यदि किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे अध्यक्ष की सेवा की शर्तें एवं निबंधने विभिन्न अधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार होंगी तथा उन्हें उस मंत्रालय के परामर्श से तय किया जाएगा ।

4. **छुट्टी** : साइबर अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी आदि के मामले में सचिव, भारत सरकार के मामले में लागू छुट्टियों के पात्र होंगे ।

5. **छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी** : सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के म प्राधिकारी होंगे ।

6. **पेंशन अथवा भविष्य निधि** : (i) यदि किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश अथवा भारतीय विधि सेवा का कोई सदस्य अध्यक्ष का पद धारण करता है तो साइबर अपीलीय अधिकरण में की गई सेवा को पेंशन के लिए गिना जाएगा जिसका आहरण उसकी सेवा से संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा और वह भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के प्रावधानों द्वारा भी शासित होगा ।

(ii) अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा ।

7. **यात्रा-भत्ता** : अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान (साइबर अपीलीय अधिकरण में अपने सेवाकाल की समाप्ति पर अपने मूल निवास स्थान को जाने के लिए की जाने वाली यात्रा सहित) सचिव, भारत सरकार के लिए लागू मात्रा तथा दर पर यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता, घरेलू वस्तुओं के परिवहन तथा अन्य इसी प्रकार के मामलों के लिए पात्र होंगे ।

8. **छुट्टी यात्रा रियायत** : अध्यक्ष सचिव, भारत सरकार को प्राप्त होने वाले छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र होंगे ।

9. **वाहन की सुविधा** : अध्यक्ष किराए पर टैक्सी लेने के मामले में सचिव, भारत सरकार के लिए लागू नियमों अथवा आदेशों के अनुसार पूर्णकालिक आधार पर किराए पर टैक्सी लेने के पात्र होंगे ।

10. **आवास** : (क) अध्यक्ष साधारण पूल आवास से, उपलब्ध होने पर, केन्द्र सरकार के श्रेणी 'क' अधिकारियों को प्राप्य आवास के आबंटन के पात्र होंगे, जो साइबर अपीलीय अधिकरण के स्थान पर काम कर रहे हैं तथा समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और उनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) जहाँ अध्यक्ष अनुमत अवधि के बाहर किसी सरकारी आवास को अपने पास रखते हैं तो वे अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क अथवा शास्तिक शुल्क, जो भी लागू हो, का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे और वे केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू नियमों के अनुसार बेदखली के लिए भी बाध्य होंगे ।

(ग) जहाँ अध्यक्ष उपनियम (क) के अंतर्गत सरकारी आवास की सुविधा नहीं लेते हैं वहाँ वे केन्द्र सरकार के श्रेणी "क" के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के मामले में लागू मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे ।

11. **चिकित्सा उपचार की सुविधा** : अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार चिकित्सकीय उपचार तथा अस्पताल की सुविधाओं के पात्र होंगे और जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रचलन में नहीं है उन स्थानों पर अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार (चिकित्सा) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार सुविधाओं के पात्र होंगे ।

12. **अवशिष्ट उपबंध** : अध्यक्ष की सेवा की शर्तों के संबंध में जिन मामलों के बारे में इन नियमों में विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है उनके मामले में केन्द्र सरकार के श्रेणी "क" अधिकारियों के लिए लागू नियम लागू होंगे ।

[फा. सं. 2(8)/2000-कार्मिक I]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2003

G.S.R. 221(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (r) of sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of the service of the Presiding Officer, namely: -

1. **Short title and commencement:-**

(a) These rules may be called the Cyber Regulations Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 2003.

(b) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette

2. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Cyber Appellate Tribunal" means Cyber Regulations Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 48;

(b) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of a Cyber Appellate Tribunal under section 49 of the Act;

(c) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

3. **Salary and Allowances:** - The Presiding Officer shall be paid such salary and allowances, as admissible to a Secretary to the Government of India, including all the benefits that a Secretary is entitled to. The Presiding Officer shall be deemed to be public servant as per the Section 82 of Information Technology Act 2000 (21 of 2000).

Provided that in the case of appointment of a person as Presiding Officer, who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

Provided further that in case a retired Judge of a High Court is appointed as Presiding Officer, the terms and conditions of service of such Presiding Officer shall be in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance in respect of appointment of Judges to various Tribunals and in consultation with that Ministry.

4. Leave: - A person, on appointment as a Presiding Officer in a Cyber Appellate Tribunal shall be entitled to leave as applicable to the Secretary to the Government of India in respect of Earned Leave, Half Pay Leave, Extra Ordinary Leave, Commutation of Leave, Casual Leave etc.

5. Leave Sanctioning Authority: - The Secretary, Department of Information Technology, Government of India, shall be the authority competent to sanction leave to the Presiding Officer.

6. Pension or Provident Fund: - (i) In case a serving Judge of a High Court or a member of the Indian Legal Service is holding the post of Presiding Officer, the service rendered in the Cyber Appellate Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs, and he shall also be governed by the provisions of the Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(ii) In all other cases, the Presiding Officer shall be governed by the provision of the Provident Fund (India) Rules, 1962.

7. Travelling Allowances: -The Presiding Officer while on tour (including the journey undertaken on the expiry of his term with the Cyber Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are applicable to Secretary to the Government of India.

8. Leave Travel Concession: - The Presiding Officer shall be entitled to avail leave travel concession as admissible to the Secretary to the Government of India.

9. Facility of Conveyance: - The Presiding Officer shall be entitled to hire a Taxi on whole time basis in accordance with the rules or orders for the time being in force for hire of taxi by a Secretary to the Government of India.

10. Accommodation: - (a) The Presiding Officer shall be eligible, subject to availability, allotment of Government Quarter from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government, who is working at the place where the Cyber Appellate Tribunal is located and drawing an equivalent pay, on payment of license fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(b) Where the Presiding Officer occupies a Government accommodation beyond permissible period, he shall be liable to pay additional license fee or penal rent, as the case may be, and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government Servants.

(c) Where the Presiding Officer does not avail of facility of Government accommodation under sub-rule (a), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing equivalent pay.

11. **Facilities for medical treatment:** - The Presiding Officer shall be entitled to medical treatment and hospital facilities, as provided in the Central Government Health Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the said Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

12. **Residuary Provision:** - Matters relating to the conditions of service of the Presiding Officer with respect to which no express provision has been made in these rules shall be as per the rules applicable to Group 'A' officers of Central Government.

[F. No. 2(8)/2000-Pers. I]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

784 GI/03-3